

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)



पावरग्रिड

केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी" प्लॉट सं. 2, सेक्टर-29, गुडगाँव-122 001, हरियाणा
फोन : 0124-2571700-719, फैक्स : 0124-2571760, 2571761 तार 'नेटग्रिड'
Corporate Office : "Saudamini" Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon-122 001, Haryana
Tel. : 0124-2571700-719, Fax : 0124-2571760, 0124-2571761 Gram : 'NATGRID'

संदर्भ संख्या / Ref. No

Ref: C/CP/RTI /2013/174

Date: 6th February, 2014

Shri Jatinder Singh
Harnam Nagar
Ward No. 10, Street No. 3
Samrala, Ludhiana 141 114

Sub: **Information under Right to Information Act, 2005.**

Dear Mr. Singh,

This has reference to MoP letter No.10/5/(66)/2013-RTI/MOP dated 3rd January 2013 transferring the RTI application dated 9th December, 2013 for providing information under RTI Act, 2005.


Copy of POWERGRID's reply dated 23rd July, 2010 in response to DO letter No. MOP/VIP/5374/2010 received from MoP is attached at **Annex-I**.

Details of Appellate Authority, as per the provisions of RTI Act, 2005 is as under:

Shri B. Mishra
Executive Director (CP&IT) & Appellate Authority, Corporate Centre
Power Grid Corporation of India Limited
"Saudamini", Plot No. 2, Sector-29
Gurgaon – 122001, Haryana

Thanking You,

भवदीय,


6-2-14
(सुधीर मित्तल)

महाप्रबंधक(के.आ.)एवंके.लो.सू.अधिकारी

Attach: As above

016

के/मा०सं०/भर्ती/185/13/10

दिनांक: 23/07/2010

श्रीमति बी. नीरजा
अनुभाग अधिकारी
विधुत मंत्रालय, भारत सरकार,
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

विषय: श्री जितेन्द्र सिंह सुपुत्र श्रे रंजीत सिंह को पावरग्रिड में अनुकम्पा पर नियुक्ति के सन्दर्भ में।

कृपया अपने पत्र सं. 03/59/2010-पीजी दिनांक 28.06.2010 का अवलोकन करें।

इस संदर्भ में, हम आपको सूचित करना चाहते कि दिनांक 21.08.1995 को प्रबंधन और कामगार कर्मचारियों के प्रतिनिधि के बीच हुए अनुबंध जापन खंड 0.5.4 के तहत ऐसे कामगार जो कि ड्यूटी करते हुए दुर्घटना स्वरूप स्थाई रूप से अपंग हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके एक आश्रित को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर पावरग्रिड में नौकरी दी जाएगी।

श्री रंजीत सिंह की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है, जो उपरोक्त अनुबंध जापन के तहत नहीं आता है। अतः पावरग्रिड श्री जितेन्द्र को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार देने में असमर्थ हैं।

यह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से जारी किया गया है।

धन्यवाद

भावदीय,

(पी०के० हरिनारायणन)

मुख्य प्रबंधक(मा.सं.)

प्रतिलिपी: मुख्य प्रबंधक(मा.सं.-स्थापना)